राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–70 / 2007

समता सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तिलक मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की गई है :–

   (i) and the respondents be kindly directed to treat the appellant continuous in service with effect from 15.6.2001; and

   (ii) the respondents be kindly further benefits including directed to pay the appellant all consequential benefit of salary since 15.6.2001 and the benefit of annual grade increments, allowances, fixation, seniority, promotion, selection grades etc. accordingly; and

   (iii) the respondents be kindly further directed to pay arrears of all due monetary benefits alongwith interest thereon at the rate of 24% per annum within a specified period as may be deemed proper by Hon'ble Tribunal; and

   (iv) Any other relief deemed just and proper in the facts and circumstances of the case be kindly also granted to the appellant.

2. इस अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को दिनांक 15.06.2001 से निलम्बित किया गया था। इसके पश्चात आदेश दिनांक 13.07.2004 के द्वारा अपीलार्थी को नर्स ग्रेड–द्वितीय से पदच्युत किया गया था। बाद में अपीलार्थीया को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में बहाल किया गया। जिस पर अपीलार्थीया दिनांक 06.04.2005 को अपनी उपस्थिति दी। इस अपील में अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि उसकी सेवाएं दिनांक 15.06.2008 से नियमित मानते हुए उसे समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

3. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थीया द्वारा की गई प्रार्थना के संबंध में जांच करने के लिए निर्देश दिये जाते हैं एवं जांच के पश्चात अपीलार्थी की सेवाएं नियमानुसार 15.06.2001 से लगातार मानी जाती है तो उसे समस्त लाभ प्रदान किये जाये। उक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)